निविदा सूचना क्रमांक-08

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,जोधपुर

सफाई व्यवस्था हेतु निविदा फॉर्म

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली सोसायटी/एजेंसी/व्यक्ति का नाम व डाक पता

   ....

   ....

   ....

2. पंजीयन संख्या ....

3. सोसायटी/एजेंसी के मालिक का नाम एवं पूरा पता

   टेलीफोन/मोबाइल नम्बर ------------------

4. किसको सम्बोधित किया गया - **कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर**
5. संदर्भ - निविदा सूचना क्र.प 06 रा.आ.वि./जोध./लेखा/17-18/.......... दिनांक 25.07.17
6. निविदा शुल्क की राशि **रूपये 400/-** नकद रसीद संख्या ---------- दिनांक --------- के द्वारा जमा करवा दी गई हैं।
7. विश्वविद्यालय का करवड़ स्थित प्रशासनिक खण्ड, आंगिक आयुर्वेद चिकित्सालय, पूंजला चिकित्सालय, युनानी चिकित्सालय टोंक, आयुर्वेद महाविद्यालय, छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास, रसायनशाला, केन्टीन, एवं अतिथि गृह की सफाई हेतु दरें निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	श्रमिकों की संखया	दर प्रति श्रमिक प्रतिदिन	पी. एफ. अंसदान	ई. एस.आई. अंसदान	सर्विस टैक्स	कुल व्यय (4+5+6+7)	सर्विस चार्जेज	महायोग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी	35							

8. संस्था द्वारा कार्यदेश प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस के भीतर निविदा में वर्णित स्थानों की सफाई हेतु सफाई कर्मी तैनात कर दिए जायेंगे।
9. निविदा फॉर्म में उल्लेखित दरें निविदा खोलने की तिथि से तीन माह के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
10. धरोहर राशि रूपये 48000/- डी.डी. संख्या --------दिनांक ---------- द्वारा जमा करवा दी है।
11. सोसायटी/एजेंसी के पंजीकरण की प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति संलग्न प्रस्तुत है।
12. सफाईकर्मी विश्वविद्यालय में 8 घण्टे प्रति दिन कार्य करेंगे।
13. निविदा विश्वविद्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड कर भरी जा सकती है। ऐसी दशा मे निविदा शुल्क का डी. डी. की राशि **रुपये 400/-** निविदा के साथ संलग्न करना होगा इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक 16.08.17 को दोपहर बाद 3.00 **PM** तक जमा कराये जा सकते है एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक 17.08.17 को दोपहर बाद 2.00 **PM** यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्यदिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।
15. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए. आर./2007 दिनांक

प्रोसेसिंग शुल्क अतिरिक्त देनी होगी, जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजर डायरेक्टर, आर. आई. एस. एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

हस्ताक्षर निविदादाता

घोषणा पत्र

निविदादाताओं द्वारा घोषणा (एस.आर. प्रारूप -11)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन कार्यों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड निविदा कार्य का अनुभव है तथा कार्य सम्पादनकर्त्ता हूँ/हैं। (जो लागु नहीं हो काट दिया जावे।)

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी निविदा सूचना क्र.प 06 रा.आ.वि./जोध. /स्टोर/17-18/......... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।

हस्ताक्षर निविदादाता

<u>सफाई कार्य हेतु निविदा की शर्ते</u>

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के करवड़ स्थित प्रशासनिक खण्ड, आंगिक आयुर्वेद चिकित्सालय, पूंजला चिकित्सालय, युनानी चिकित्सालय टोंक, आयुर्वेद महाविद्यालय, छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास, रसायनशाला, केन्टीन, एवं अतिथि गृह की सफाई हेतु शर्तें निम्नलिखित है :-

1. विश्वविद्यालय का करवड़ स्थित स्थित प्रशासनिक खण्ड, आंगिक आयुर्वेद चिकित्सालय, पूंजला चिकित्सालय, युनानी चिकित्सालय टोंक, आयुर्वेद महाविद्यालय, छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास, रसायनशाला, केन्टीन, एवं अतिथि गृह में प्रतिदिन तीन बार/आवश्यकता अनुसार झाडू निकालना एवं फर्श पर फिनाईल का पोचा लगाना।
2. उक्त भवनों के समस्त शौचालयों एवं वाशवेसिनों की प्रतिदिन तीन बार/आवश्यकता अनुसार सफाई एवं फिनाईल का छिड़काव करना तथा पानी की निकासी अवरोध होने पर उसकी सफाई कर पानी की निकासी करना।
3. उक्त भवनों में प्रतिदिन नियमित रूप से दरवाजों, खिड़कियों, शीशों, जालियों, रोशनदानों की सफाई करना, जालों को हटाना, भवनों की लोबियों की सफाई करना, दीवारों की पांच फूट तक तथा भवन से पांच मीटर क्षेत्र की सफाई करना।
4. सफाई का कार्य प्रत्येक श्रमिक द्वारा 8 घण्टे प्रतिदिन किया जायेगा। कार्य का Layout प्रत्येक अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जावेगी तथा जो भी सफाई का अन्य कार्य बतलाया जायेगा उसे करना होगा। छात्रा छात्रावास हेतु 04 महिला सफाईकर्मी एवं 01 पुरूष सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने होंगे। सफाईकर्मी निम्नानुसार भवनों में उपलब्ध करवाने होंगे :-

क्र. सं.	भवन	श्रमिकों की संख्या
1	प्रशासनिक भवन	04
2	वि.वि. चिकित्सालय	08
3	कुलपति महोदय निवास	01
4	पूंजला चिकित्सालय	02
5	टोंक चिकित्सालय/महाविद्यालय	04
6	आयुर्वेद महाविद्यालय	04
7	छात्र छात्रावास	03
8	छात्रा छात्रावास	05
9	अतिथिगृह, फार्मेसी	02
10	पुस्तकालय	01
11	नवीन पंचकर्म भवन	01

5. सफाई हेतु ठेका स्वीकृत पश्चात एक बंधक पत्र रूपये 500/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर देना होगा कि जिसमें उपरोक्त समस्त सफाई की शर्तों की सहमति होगी।

6. ठेके हेतु प्रतिभूति राशि ठेके की कुल वार्षिक राशि का पांच प्रतिशत जमा कराया जाना आवश्यक है।

7. नियोजन सम्बन्धी कोई अधिकार इस कार्यालय के लिये नहीं होगा। वाद, दावा की स्थिति में समस्त जिम्मेवारी निविदाकार/एजेन्सी/सोसायटी की होगी।

8. सफाई कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में युक्तियुक्त अवसर देकर ठेका निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा।

9. मांग अनुसार व्यक्ति उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान में से औसतन कटौती कर ली जायेगी। सफाई सही नहीं होने अथवा किसी दिन सफाई नहीं करने पर अनुपातिक प्रतिदिन देय राशि की दुगुनी राशि की कटौती प्रतिदिन के हिसाब से की जायेगी। जो कि ठेकेदार को देनी होगी।

10. माह में एक बार उक्त भवनों के छतों की सफाई करनी होगी तथा दो बार फर्श को पानी से धोना होगा।

11. दरें अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जावें। इसमें किसी प्रकार की काट-छांट एवं ऊपरी लेखन नहीं होना चाहिए।

12. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या सब लेट नहीं करेगा।

13. निविदादाता द्वारा निर्धारित समय पर अनुबन्ध निष्पादित नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी।

14. संविदा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर कुल सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता को मान्य होगा।

15. मांग अनुसार 50 प्रतिशत तक श्रमिकों की संख्या बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है।

16. प्रत्येक माह की सन्तुष्ठ सेवायें प्रभारी द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात् ही भुगतान देय होगा। सफाईकर्मी जिस इकाई हेतु आवंटित किया जाता है, उसके संबंधित प्रभारी/नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य सत्यापन एवं संतुष्टी का स्तर सुनिश्चित करने पर ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।

17. सफाईकर्मियों का पूर्ण विवरण यथा नाम पिता का नाम, स्थायी पता एवं परिचय पत्र की फोटो प्रति सफाईकर्मी को तैनात करने के पूर्व विश्वविद्यालय में देनी होगी। कार्य पर होने की अवधि में परिचय पत्र धारित करना होगा।

18. श्रम विभाग के आदेशानुसार श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा किसी श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है तो उसके स्थान पर अन्य श्रमिक को उपलब्ध करवाना होगा। श्रम नियमों के उलंघन बाबत पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा।

19. अनुबंधकर्ता द्वारा दरें एक वर्ष के अनुबन्ध के लिये दी जायेगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकार की जाती है,उसके द्वारा उक्त दरों के अनुरुप अनुबंध हस्ताक्षरित किया जावेगा। आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि आगामी 06 माह तक बढ़ायी जा सकती है।

20. राजस्थान Transparency in Public Procurement Rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

21. एक्साईज विभाग में सर्विस टैक्स पंजीयन का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है तथा सर्विस टैक्स तथा पी. एफ. से सम्बन्धित राशि प्रत्येक माह में जमा करवाई जाकर इसके चालान की प्रति उपलब्ध करानी होगी। इसके अभाव में आगामी माह का भुगतान नही किया जावेगा।

22. न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के कारण अतिरिक्त भुगतान हेतु प्रस्ताव निविदा के साथ दिये जावे।

23. श्रमिकों की उपस्थिति की पंजिका सम्बन्धित प्रभारी द्वारा संधारित की जावेगी।

24. सफाई व्यवस्था हेतु सामग्री विश्वविद्यलय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

25. चिकित्सालय एवं छात्रावासों में प्रतिदिन सफाई का कार्य करवाना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की अतिरिक्त शर्ते एवं निर्देश

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न भवनों हेतु वार्षिक सफाई कार्य के संबंध में दिशा निर्देश एवं कार्य की शर्ते :-

1. अनुबन्ध अवधि के दौरान सफाई कार्य के कारण एकत्रित होने वाले कचरे आदि को शामिल करके प्रतिदिन प्रशासन द्वारा नियत किये गये स्थानों (डम्पींग स्टेशन) पर डालना होगा एवं सप्ताह में एक बार समस्त कचरा उस स्थान से उठाकर नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये स्थान पर डालना होगा। जिससे वार्तावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए। कचरा विश्वविद्यालय परिसर के बाहर डालने हेतु पंजिका का संधारित करनी होगी।

2. अस्पताल/कॉलेज के बरामदे, सीढ़ियो, घाटियों, वार्डो में प्रशासन द्वारा निश्चित किये गये स्थानों पर कचरा पात्र तथा पीकदान संविदाकार को साफ करने होगे। पीकदान में आवश्यकतानुसार मिट्ठी रसायन आदि का परिवर्तन

3. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित स्थानों की दिवारों पर पान की पीक, थूक, बलगम, जालो व अन्य गंदगी आदि को हटाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

4. अनुबन्ध अवधि में सफाई कार्य से संबंधित सेनेट्री आईटम/सिवरेज लाईन/हॉदीया इत्यादि जो उनके सफाई क्षेत्र में सम्मिलित है के सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। सफाई कार्य करते समय किसी प्रकार के टूट-फूट की स्थिति में उनकी मरम्मत एवं बदलने का कार्य भी ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के किया जावेगा।

5. सफाईकर्मी सफाई कार्य के साथ-साथ, **Dead Body** को मोर्चरी में स्थानान्तरित करने, वार्ड में भर्ती मरीजों की पेशाब थैलिया एवं अन्य **Drains** की थैलिया खाली करने का कार्य भी करेंगें तथा मरीजों के बैड पैन उठाना व सफाई करना, ग्लोज धुलवा कर तैयार करवाने का कार्य भी करेंगे।

6. निर्धारित स्तर की सफाई का कार्य नहीं होने पर प्रशासनिक अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक/वार्ड इन्चार्ज द्वारा ठेकेदार का उस स्थान की सफाई पुनः करने हेतु निर्देश दिये जायेंगे, और ठेकेदार द्वारा ऐसे निर्देश प्रदान किये जाने पर तुरन्त ही उक्त स्थान की सफाई का कार्य पूरा कर पालना प्रस्तुत करनी होगी। जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

7. न्यूनतम दर वाली निविदा को ही स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। निविदा के किसी भाग अथवा उसके उप भाग अथवा कोई भी कार्य हेतु कार्य आदेश दिया जा सकता है अथवा उस भाग को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता में निहित है।

8. ठेकेदार को प्रतिमाह कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक खाते खुलवाकर सीधे बैंक खाते में राशि भुगतान करनी होगी। जिसकी सूची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

9. स्वीकृत ठेके के दौरान संविदाकार को करवड़ एवं अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले अपने सभी श्रमिकों को आवश्यक पहचान पत्र, बैज, एक सी यूनीफार्म उपलब्ध कराने होंगे। इस संबंध में संविदाकार को ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देनी होगी। जिसके अनुसार श्रमिकों को करवड़ परिसर में कार्य पर उपस्थित होने हेतु प्रवेश दिया जा सकेगा। सफाई कर्मी द्वारा डयूटी पर उपस्थित होने पर वार्ड इन्चार्ज को सूचना करके वार्ड इन्चार्ज/नर्सिंग अधीक्षक/प्रशासन को सूचित करना होगा। 18 वर्ष से कम से आयु के नाबालिग श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जा सकेगा।

10. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध करते हुये यदि किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना होती है तो ऐसी दशा में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिये संविदाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. कोई भी सफाई कर्मी मादक द्रव्य/पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, अभद्रता, र्दुव्यवहार, किसी प्रकार की इनामी राशि की मांग अपराध की श्रेणी में आयेगा, तथा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरन्त हटाना होगा अन्यथा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12. इस कार्य अनुबन्ध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय हस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की डिक्री जारी की जाती है, तो उस राशि का वहन अनुबन्धकर्ता को करना होगा साथ ही यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें चिकित्सालय प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो चिकित्सालय पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार ठेकेदार से वसूला जायेगा।

13. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर (यथा सेवा कर) आदि का भुगतान संविदाकार को करना होगा। इसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी परन्तु संविदाकार को प्रत्येक माह के विपत्र के साथ गत माह के सेवाकर जमा करवाने का चालान/रसीद अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अतः निविदादाता अपनी दरें देते समय इस बिन्दु का ध्यान रखें।

14. केन्द्र/राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त कानून/प्रावधानों की पालना ठेकेदार को करनी होगी जिसमें कर्मकार क्षतिपूर्ति एक्ट न्यूनतम मजदूरी भुगतान एक्ट, मजदूरी भुगतान एक्ट, इत्यादि समस्त श्रम कानून व नियम सम्मिलित होंगे। निविदाकर्ता किसी भी प्रकार से इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

15. यदि ठेकेदार एवं उनके सफाई कर्मिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। इस संबंध में चिकित्सालय प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित श्रमिकों को औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटानें, कार्यमुक्त करने नोटिस, वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

16. अनुबन्ध पर लगे श्रमिकों की ईएसआई/पीएफ की कटौती कर नियोक्ता के अंशदान की राशि सहित राशि संबंधित विभागों में जमा करवाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा एवं जमा करायी गयी राशि का चालान मय सम्पूर्ण विवरण (श्रमिकवार) प्रत्येक माह के विपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उस माह का विपत्र पारित किया जाना संभव नहीं होगा। श्रमिको से संबंधित ईएसआई/पीएफ नियमों की पूर्ण पालना का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।